:: कार्यालय कलेक्टर, जिला – बुरहानपुर (म.प्र.) ::

।। प्रमाण पत्र ।।

प्रमाणित किया जाता है कि जिलें **बुरहानपुर** कें ग्राम **भावसा नई चोंडी** के आरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड **जम्बू पानी** के कक्ष क्रमांक **428, 433, 434, 435**, 481 एवं **436** रकबा ~~260.12~~ 276.84 हेक्टेयर **भावसा** वनक्षेत्र के खसरा क्रमांक ....–.......रकबा.......–....... हेक्टेयर वनभूमि जो **भावसा मध्यम सिंचाई** परियोजना के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है, मैं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की संपूर्ण प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है।

1. अभिलेखों के आधार पर यहं पाया गया कि . **भावसा मध्यम सिंचाई** परियोजना निर्माण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल रकबा ~~260.12~~ 276.84 हेक्टर वनभूमि पर उसके चारों ओर निवासरत् किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नही है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्ततृ विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हे स्थानीय भाषा में की जा चुकी है, अथवा /यह कि व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई दावा नहीं होने के कारण यह बिन्दू लागू नहीं है । (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) साथ ही जिलें के अंतगर्त संपूर्ण आवेदित वनक्षेत्र **भावसा** में किसी रहवास या राजस्व ग्राम की सीमा नहीं है।
(यदि लागू नहीं हो तो)

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों से चर्चा कर सहमति दी गई है ।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

5. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही (यदि कोई हो) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभाओं की इसमें सहमति है। अथवा कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है, एवं पूर्ण की जावेंगी । (जो भी लागू हो)

23/1/13

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिलास्तरीय समिति, बुरहानपुर (म.प्र.)